संख्या-326/2023/आई/**296307**/004-41-1002-001-1-2021-1

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 30 मार्च**,** 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानक मद संख्या-12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, **13- टेलीफोन पर व्यय**, **संख्या 46-कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर एवं साफटवेयर का क्रय तथा 47-कम्प्यूटर अनुरक्षरण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-9298/21-1-1/(पुनर्विनियोग) नजा0-66/2021**,** दिनांक 09.03.2023 सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष **2022-23** में लेखाशीर्ष-**3452-**पर्यटन-**80-**सामान्य-**104-**संवर्धन तथा प्रचार-**03-**अधिष्ठान- **01-**वेतन मद में हो रही बचत रु**0 158.25** लाख के सापेक्ष लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-01-वेतन से मद संख्या-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय के मानक मद संख्या-**12-**कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण धनराशि रू0 59.00 लाख**, 13-** टेलीफोन पर व्यय धनराशि रू0 3.25 लाख**,** संख्या **46-** कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर एवं साफटवेयर का क्रय धनराशि रू0 86.00 लाख तथा **47-** कम्प्यूटर अनुरक्षरण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय मद में धनराशि रू0 10.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से अर्थात कुल धनराशि रू0 158.25 लाख की स्वीकृति पुनर्विनियोग के माध्यम से जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-01-वेतन मद से निम्नलिखित मदों में धनराशि रु0 158.25 लाख (रु0 एक करोड़ अठ्ठावन लाख पचीस हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर रखें जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	13 (टेलीफोन पर व्यय)	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	3,25,000 रुपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र	3,25,000 रुपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र	11,25,000 रुपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र	2022-2023
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय)	15,00,000 रुपये पंद्रह लाख मात्र	86,00,000 रुपये छियासी लाख मात्र	86,00,000 रुपये छियासी लाख मात्र	1,01,00,000 रुपये एक करोड़ एक लाख मात्र	2022-2023
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	12 (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	59,00,000 रुपये उनसठ लाख मात्र	59,00,000 रुपये उनसठ लाख मात्र	69,00,000 रुपये उनहत्तर लाख मात्र	2022-2023
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	2022-2023
कुल				₹ 1,58,25,000	₹ 1,58,25,000		

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022**,** दिनांक-07.06.2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022**,** दिनांक 04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	59,00,000 (रुपये उनसठ लाख मात्र)
2	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	3,25,000 (रुपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र)
3	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	86,00,000 (रुपये छियासी लाख मात्र)
4	044	3452800010300 अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
महायोग				1,58,25,000 (रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख पच्चीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ ।
6. उप निदेशक, पर्यटन (नजारत), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।